

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक- 18/4/2019

विषय:- राज्य में गरम हवाएँ/लू चलने के दौरान होने वाली बीमारियों की रोकथाम एवं तैयारियों हेतु अनुदेश।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक गरम हवाओं/लू के दौरान लोगों के स्वास्थ्य (विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं) की सुरक्षा हेतु पूर्व तैयारी में की जाने वाली कार्रवाईयों से संबन्धित निदेश निर्गत किए गये हैं। गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गयी है। कम वर्षा के कारण वातावरण में सामान्य नमी के कमी फलस्वरूप मौसम शुष्क रहने के कारण गरम हवाओं/लू चलने की पूरी संभावना होगी। ऐसे में बच्चे, गर्भवती व धात्री माताएँ, वृद्धजन तथा पूर्व से गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग जोखिम में पड़ सकते हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

गरम हवाओं/लू लगने के सामान्य लक्षण के रूप में अधिक पसीना आना, तेज गति से सांस का चलना, मांसपेशियों में दर्द, मितली/उल्टी या दस्त या दोनों का होना पाया जाता है, अत्यधिक प्यास लगने लगती है, तेज बुखार आ सकता है या कभी-कभी मूर्छा भी आ सकती है। इसके लिए पूर्व तैयारी, लोगों में जागरूकता एवं बचाव के उपायों को जानकर ही जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। इस हेतु निम्नांकित तीन स्तरों पर कार्रवाई आवश्यक है:-

- (1) प्रशासनिक स्तर पर
- (2) चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल/जिला अस्पताल स्तर/राज्य स्वास्थ्य समिति स्तर पर।
- (3) समुदाय स्तर पर।

प्रशासनिक स्तर पर:

1. जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महामारी समिति गठित है जिसमें उप विकास आयुक्त/आरक्षी अधीक्षक/सिविल सर्जन/आपूर्ति विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं।
2. यह समिति अपने जिले में लू/गरम हवाओं के चलने से उत्पन्न होने वाली स्थिति में पूर्व के अनुभवों के आधार पर सभी संबन्धित के साथ समन्वय स्थापित कर निरोधात्मक एवं उपचारात्मक कार्य करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी उक्त समिति को हो।

3. गरम हवाओं/लू लगने के लक्षण, उसके कुप्रभाव एवं प्राथमिक उपचार के संदर्भ में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का संवेदीकरण किया जाय एवं यह भी बताया जाय कि किन लक्षणों के होने पर प्रभावित को तत्काल विशेष चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी, जिससे बिना देर किए प्रभावित को गहन विशेष चिकित्सा के लिए नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या अन्य स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया जा सके।
4. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पतालों/जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में सुनिश्चित किया जाय कि I.V. Fluid, O.R.S इत्यादि अन्य आवश्यक दवाओं जो ताप-घात (Heat Stroke) में प्रयोग की जाती है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें।
5. गरम हवाओं/लू के चलने के दौरान या तापमान के सामान्य से अधिक रहने पर स्थितियों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार मोबाईल टीम का गठन कर लिया जाये जो दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँच सके।
6. गरम हवाओं/लू के चलने के दौरान या तापमान के सामान्य से अधिक रहने (लंबे समय तक) कि स्थिति से निपटने के लिए जिला स्तर पर एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर चिकित्सक/ए0एन0एम0/स्वास्थ्य कर्मियों के प्रतिनियुक्ति कर Duty Roaster तैयार कर लिया जाए तथा सभी संबंधित को पूर्व में सूचित कर उनका उन्मुखीकरण कर लिया जाए।
7. गरम हवाओं/लू से प्रभावित होने पर या लग जाने पर तत्काल क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए (Do's & Don'ts (संलग्न)) का प्रचार प्रसार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं आशा के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
8. विधुत विभाग से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराएं कि अस्पतालों में अबाध विधुत आपूर्ति होती रहे।
9. समय-समय पर स्वास्थ्य से संबंधित सलाह आम जनों के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से प्रसारित करें, जिसमें लू के प्रभावों से बचने के लिए क्या करें व क्या न करें तथा लू लग जाने पर क्या करें (स्थानीय उपाय सहित) प्रसारित करायें।
10. सभी सरकारी अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में लू/गरम हवाओं से प्रभावित व्यक्तियों/मरीजों का जो उपचार के लिए आते हैं (पूरे लू चलने की समय सीमा के अंदर) समय उनका आकंड़ा अलग से एकत्रित कराया जाना सुनिश्चित करें।

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर:-

1. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/जिला अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पतालों में सुनिश्चित किया जाय कि लू लगने की स्थिति में प्रभावितों को पर्याप्त एवं उचित मात्रा में जीवन रक्षक औषधियाँ जो ताप-घात (Heat Stroke) में प्रयोग की जाती है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें।

2. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/जिला अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पतालों में पर्याप्त शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करायी जाये जो आमजन तथा बच्चों, वृद्धों, दिव्यांगों जनों के पहुँच के सुलभ हो।
3. सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/जिला अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अनुमंडलीय अस्पतालों में ताप-घात (Heat Stroke) से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज के लिए पृथक वार्ड/बेड चिन्हित कर अलग कर लिया जाय।

राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर:-

1. किसी भी तरह की सूचना या मार्ग दर्शन हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना में स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या '104' से सम्पर्क स्थापित कर तथा ई मेल आईडी ssobihar@gmail.com पर सूचना भेजी जा सकती है।
2. राज्य IDSP (Integrated Diseases Surveillance Programme) पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति/राज्य के जिलों से महामारी के समय में आक्रांतों/मृतकों की संख्या/दावा एवं सामग्री की अद्यतन स्थिति प्राप्त करेंगे एवं जिलों से सतत सम्पर्क एवं समन्वय बनाए रखेंगे साथ ही निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण कोषांग की अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे। इस कोषांग का दायित्व होगा कि प्राप्त प्रतिवेदन से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को लगातार अवगत करायेंगे।
3. निदेशक प्रमुख (आपदा) वे सभी निर्णय लेंगे जो लू/गरम हवाओं से उत्पन्न बीमारी/महामारी के रोकथाम के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

समुदाय स्तर पर:-

ए०एन०एम० व आशा के माध्यम से निम्नांकित जानकारियाँ हर परिवार स्तर पर पहुँचायें:-

1. यदि अति आवश्यक न हो तो दोपहर में घर से बाहर न निकले।
2. यथासंभव सूती/हल्का और हल्के रंग का कपड़ा पहनें।
3. थोड़े-थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें यथासंभव पानी में ग्लूकोज पीयें।
4. हल्का व थोड़ा भोजन खाएँ, भोजन को कई बार में खाएँ।
5. ताजा पका हुआ ही भोजन खाएँ एवं बासी भोजन कदापि न खाएँ।
6. तेज धूप में बच्चों को खेलने के लिए बाहर न जाने दें।
7. सभी को जानकारी दी जाए कि वह बाहर जाते समय सिर पर टोपी, गमछा या छाता (जो सुलभ हो) लेकर जायें।
8. लू लग जाने पर तौलियां/गमछा ठंडे पानी में भिगों कर सिर पर रखें और पूरे शरीर को भीगों कपड़े से बार-बार पौछते रहें, जिससे शरीर का तापमान बढ़ने नहीं पायें।
9. लू लगने पर आम का पन्ना, सत्तू का घोल एवं नारियल का पानी पीयें।

10. ओ०आर०एस० का घोल एवं ग्लूकोज भी नियमित रूप से पीयें।
11. ताजी बनी दाल का पानी, चावल के माड़ में थोड़ा से नमक मिलाकर पिलाना बच्चों के लिए लाभदायक होगा।
12. गंभीर स्थिति होने पर तुरंत नजदीक के अस्पताल /स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करायें एवं चिकित्सक की सलाह ले।

उपरोक्त जानकारियाँ गृह भ्रमण के दौरान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता दिवस के आयोजन पर प्रत्येक परिवारों के लोगों तक बताई जा सकती है।

उपरोक्त कार्रवाईयों को प्राथमिकता के आधार पर होना सुनिश्चित कराएँ।


(संजय कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 368 (11) पटना, दिनांक 18.4.19


प्रतिलिपि:—कार्यपालक निदेशक सह सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संभावित लू/गरम हवाओं से उत्पन्न स्थिति/रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाय।

प्रतिलिपि:—प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—अधीक्षक, राज्य स्वास्थ्य भंडार, गुलजारबाग, पटना/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार।

प्रतिलिपि:—प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग के वेवसाईट पर निर्गत अनुदेश अपलोड करने एवं संबंधित को ई-मेल द्वारा प्रेषण करने हेतु प्रेषित।




सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— 368 (11) पटना, दिनांक 18.4.19

प्रतिलिपि:—मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के, आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

जनमानस को भीषण गर्मी/खू के लक्षण, सावधानियों एवं स्थानीय उपचार के संबंध में आवश्यक जानकारियाँ :-

लक्षण:-

1. प्रारम्भिक अवस्था में अत्यधिक पसीना आना, तेज गति से साँस चलना एवं तेज एवं कमजोर नाड़ी गति तथा साँसपेशियों में दर्द।
2. गर्म एवं शुष्क त्वचा।
3. चक्कर आना।
4. सरदर्द।
5. भिचली और उल्टी होना।
6. अचेत हो जाना।

सावधानियाँ:-

1. जरूरी कार्य करने हेतु ही घर से बाहर निकलें।
2. बाहर निकलते समय पानी पी लें एवं पानी की बोतल साथ में रखें।
3. हल्के रंग एवं ढीले वस्त्र पहनें तथा सर को टोपी या तौलियाँ से ढक कर रखें। यथासंभव छाते का प्रयोग करें।
4. हल्का भोजन (सत्तू का सेवन) ज्यादा पानी युक्त फल का उपयोग करें तथा समय समय पर पीने का पानी का सेवन करें।
5. अशक्त या कमजोर समूह यथा छोटे बच्चे, बुढ़े, गर्भवती महिलाएं इत्यादि को अन्यथा घर से बाहर निकलते समय अत्यधिक सावधानी बरतें।

स्थानीय स्तर पर उपचार :-

1. पीड़ित व्यक्ति को घर के अंदर या ठंडा या छायादार जगह में ले जाकर लेटाए।
2. शरीर को भीगे हुये कपड़े या ठंडा पानी का छिड़काव कर पोछें।
3. पीड़ित व्यक्ति को ORS का घोल या नमक चीनी मिश्रित घोल पिलायें।
4. यदि पीड़ित व्यक्ति अचेत हो तो उसे कोई भी खाने या पीने की वस्तु न दें।
5. यदि पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में सुधार न हो तो विशेष चिकित्सकीय सहायता हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में उपचार हेतु ले जाय।

368(11)
18-4-19